

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार),
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक:: 16 मार्च, 2011

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुखों को मानदेय दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु कुल धनराशि ₹ 2256000.00 (दो लाख छप्पन हजार मात्र) को संलग्नक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- शासनादेश सं0-1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 के अनुसार प्रमुख क्षेत्र पंचायत को रू0 3000 प्रतिमास तथा प्रति उपप्रमुख क्षेत्र पंचायत को रू0 500 प्रतिमास की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- 2-पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-472/06/XII/86(10)/05 दिनांक 01 जुलाई,2006 द्वारा निर्गत स्वीकृति इस धनराशि में सम्मिलित है।
- 3- आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा तथा बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी आवंटित धनराशि विलम्बतम 15 दिन में ट्रेजरी चैक/क्रास्ट बैंक ड्राफ्ट द्वारा सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- 4-आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त कर सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा।

निदेश

26/3/2011

512
28/3/11

5- आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमत्त नहीं होगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

6-आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान सं-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-02-पंचायती राज संस्थाएं-197-विकासखण्ड स्तरीय पंचायत-04-राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या:- 164 (1)/XXVII(1)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
- 6- जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।
- 9- खण्ड विकास अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।
- 10- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:- 167/XXVII(1)/2011
दिनांक: 16 फरवरी, 2011 का संलग्नक।
आज्ञा

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा क्षेत्र पंचायतों को वर्ष 2010-11 हेतु संस्तुत अधिष्ठान अनुदान।


(धनराशि ₹ में)

जनपद का नाम	क्रम	विकास खण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष हेतु कुल अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1-अल्मोड़ा	1	भैसियाछाना	48000
	2	भिकियासैण	48000
	3	घौखुटिया	48000
	4	धौलादेवी	48000
	5	द्वाराहाट	48000
	6	हवलबाग	48000
	7	लमगड़ा	48000
	8	सल्ट	48000
	9	स्याल्दे	48000
	10	ताकुला	48000
	11	ताडीखेत	48000
		योग:-	528000
2-बागेश्वर	1	बागेश्वर	48000
	2	गरुड़	48000
	3	कपकोट	48000
		योग:-	144000
3-घमोली	1	दशोली	48000
	2	देवाल	48000
	3	गैरसैण	48000
	4	घाट	48000
	5	जोशीमठ	48000
	6	कर्णप्रयाग	48000
	7	नारायणबगड़	48000
	8	पोखरी	48000
	9	धराली	48000
		योग:-	432000
4-घम्पावत	1	बाराकोट	48000
	2	घम्पावत	48000
	3	लोहाघाट	48000
	4	पाटी	48000
		योग:-	192000
5-हरिद्वार	1	बहादुराबाद	48000
	2	भगवानपुर	48000
	3	खानपुर	48000
	4	लक्सर	48000
	5	नारसन	48000
	6	रुड़की	48000

(धनराशि ₹ में)

जनपद का नाम	क्रम	विकास खण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष हेतु कुल अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
		योग:-	288000
6-पिथौरागढ़	1	बेरीनाग	48000
	2	धारचूला	48000
	3	डीडीहाट	48000
	4	रंगोलीहाट	48000
	5	कनालीछीना	48000
	6	मुनाकोट	48000
	7	मुनस्यारी	48000
	8	पिथौरागढ़	48000
		योग:-	384000
7-उत्तरकाशी	1	भटवाडी	48000
	2	दिन्यालीसोड	48000
	3	डुण्डा	48000
	4	भोरी	48000
	5	नौगोंव	48000
	6	पुरोला	48000
		योग:-	288000
		महायोग:-	2256000

(₹ बाईस लाख छप्पन हजार मात्र)


(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त।